न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची ।

अलाउद्दीन अंसारी व अन्य
बनाम
सलीम अंसारी व अन्य

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश – पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची सख्या– सन–

केस का प्रकार – विविध अपील वाद सं0–04 R 15/2016 मौजा–अगडू (रातु)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित
03/12/2020	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस विविध अपील वाद की कार्यवाही आवेदक सलीम अंसारी व अन्य के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गई। आवेदक न्यायालय उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रांची विविध वाद संख्या–6/2012–13/टी0आर0 संख्या–21/2014–15 में दिनांक–04.05.2016 को पारित आदेष के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल करते हैं। आवेदक का कहना है कि उन्हें न्यायालय उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रांची में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, जो न्यायहित के विरूद्ध है। द्वितीय पक्ष द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है। उक्त न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज याद संख्या–132 R 27/2000–01 (रातु अंचल) को 12 साल से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त विखण्डित किया गया जो निश्चित रूप से कालाबाधीत एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः आवेदक निवेदन करते हैं कि विविध वाद संख्या–6/2012–13/टी0आर0 संख्या–21/2014–15 में दिनांक–04.05.2016 को पारित आदेश को रद्द किया जाय।	

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	रकबा
अगडू	96	25	2.42 ए0
		26	0.03¾ ए0
		120	1.96½ ए0
		151	0.71½ए0
		कुल–	5.10¾ ए0

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	रकबा
एकागुडी	91	70	0.63½ ए0
		76	0.67 ए0
		167	1.10½ ए0
		कुल–	2.41 ए0

द्वितीय पक्ष का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनकी खतियानी भूमि और वह उस पर दखलकार है। यह भूमि उन्हें Partition Suit Case No- 23/1966 द्वारा प्राप्त हुआ था। अलाउददीन अंसारी के वंशजो द्वारा Partition Suit Case No- 23/1966 के तथ्यों को छुपाते हुए उत्तराधिकारी में नामांतरण करवा लिया गया। जिसे न्यायालय उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रांची द्वारा निरस्त किया गया है। अतः यह अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

अभिलेख में उपलब्ध निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, रातु के कार्यालय में सलीम अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, मजलुम अंसारी, पेशरान शेख पचु, निवासी ग्राम–अगडू रातू एवं शौकत असारी, मुस्तकीम अंसारी के आवेदन पत्र पर किया गया है, जिसके द्वारा दावा किया गया है कि दाखिल खारिज वाद संख्या–132 R 27/2000–01 द्वारा निम्नांकित भूमि का नामान्तरण अलाऊद्दीन अंसारी वो जलालुद्दीन अंसारी वो जमालुद्दीन अंसारी वो इसलाम अंसारी पेशरान शेख अब्दुल अजीज, निवासी ग्राम अगडू, थाना–रातु, जिला–राँची के नाम से फर्जी बंदवारानामा के आधार पर

स्वीकृत किया गया है ।

मौजा–अगडू, एवं मौजा–एकागुडी की कुल रकबा–7.51 एकड़ अंचलाधिकारी, रातु ने उक्त आवेदन पत्र को संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक से जाँच कराई। संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा बंटवारा वाद संख्या–23/1966 में Additional sub & Judge, Ranchi द्वारा पारित फैसले की छायाप्रति समर्पित की गई है। इसके अनुसार तख्त–A में वादी सख्या–01 मो० सबीरन, पति शेख झाजु, पिता–स्व० शेख जेरकु को 2.48 एकड़ भूमि हिस्से में मिली है। तख्त–B में यादी संख्या–02 मो० तुती, पति–शेख कैलु, पिता–स्व० शेख जेरकु को 2.48 एकड़ भूमि प्राप्त है । तख्त–C मो० सुलेमान, पिता– शेख जेरकु के पुत्र वादी संख्या–3 शेख अजीज, पिता–शेख शोभा एवं अन्य वाद संख्या–4 से 9 को 2.48 एकड़ भूमि प्राप्त है। शेख जेरकु के दोनों पुत्रों शेख बीगन एवं शेख पंचु को क्रमशः तखत–D एवं तख्त–E के तहत् हिस्सा प्राप्त हुआ है। अंचलाधिकारी , रातु ने पुनः प्रतिवेदित किया है कि स्थानीय जाँच में पाया गया है कि शेख बीगन की दो पत्नियाँ हनीफन एवं जीतन थी जिसमें से पहली पत्नी शेख हनीफन के नाम से शेख बीगन ने अपने सम्पति दे दी, जिसमें से 4.23 एकड़ भूमि को उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–04 एवं 05 को बिक्री कर दी गई। तदनुसार न्यायालय द्वारा तख्त–D (पार्ट–02) में मो० हनीफन पति– शेख बीगन को भूमि हिस्से में मिली। साथ ही न्यायालय द्वारा मो० हनीफन द्वारा बिक्री की गई भूमि को तख्त–D (पार्ट–02) में वादी संख्या–4 एवं 5 क्रमशः लक्ष्मी कुंवर पति–जतरू राम उराँव एवं भूदेव उरांव, पिता–रिसा उराँव को 4.23 एकड़ भूमि मिली। तख्त–E के तहत न्यायालय द्वारा शेख पचु, पिता– शेख जेरकु , प्रतिवादी सख्या–3 को मौजा–अगडु एवं एकागुडी स्थित कुल 4.97 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। पार्टीशन सुट के फैसले से स्पष्ट होता है कि शेख जेरकु के पुत्र शेख बीगन की दो पत्नियों में से सिर्फ हनीफन को ही तख्ता–D के तहत् हस्सा मिला जिसमें से बिक्री के पश्चात् हनीफन को मौजा–अगडू स्थित 0.74 एकड भूमि प्राप्त हुई है तथा दूसरी पत्नी जीतन को कोई हिस्सा नहीं मिला है। कागजातो एवं जाँच में पाया गया है कि शेख बीगन की द्वितीय पत्नी जीतन के पुत्र अब्दुल अजीज के

स्वीकृत किया गया है ।

मौजा–अगडू एवं मौजा–एकागुडी की कुल रकबा–7.51¾ एकड़ अंचलाधिकारी, रातु ने उक्त आवेदन पत्र को संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक से जाँच कराई। संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा बंटवारा वाद संख्या–23/1966 में Additional sub & Judge, Ranchi द्वारा पारित फैसले की छायाप्रति समर्पित की गई है। इसके अनुसार तख्त–A में वादी सख्या–01 मो० सबीरन, पति शेख झाजु, पिता–स्व० रोख जेरकु को 2.48 एकड़ भूमि हिस्से में मिली है। तख्त–B में यादी संख्या–02 मो० तुती, पति–शेख कैलु, पिता–स्व० शेख जेरकु को 2.48 एकड़ भूमि प्राप्त है । तख्त–C मो० सुलेमान, पिता– शेख जेरकु के पुत्र वादी संख्या–3 शेख अजीज, पिता–शेख शोभा एवं अन्य वाद संख्या–4 से 9 को 2.48 एकड़ भूमि प्राप्त है। शेख जेरकु के दोनों पुत्रों शेख बीगन एवं शेख पंचु को क्रमशः तखत–D एवं तख्त–E के तहत् हिस्सा प्राप्त हुआ है। अंचलाधिकारी , रातु ने पुनः प्रतिवेदित किया है कि स्थानीय जाँच में पाया गया है कि शेख बीगन की दो पत्नियाँ हनीफन एवं जीतन थी जिसमें से पहली पत्नी शेख हनीफन के नाम से शेख बीगन ने अपने सम्पति दे दी, जिसमें से 4.23 एकड़ भूमि को उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–04 एवं 05 को बिक्री कर दी गई। तद्नुसार न्यायालय द्वारा तख्त–D (पार्ट–02) में मो० हनीफन पति– शेख बीगन को भूमि हिस्से में मिली। साथ ही न्यायालय द्वारा मो० हनीफन द्वारा बिक्री की गई भूमि को तख्त–D (पार्ट–02) में वादी संख्या–4 एवं 5 क्रमशः लक्ष्मी कुंवर पति–जतरू राम उराँव एवं भूदेव उरांव, पिता–रिसा उराँव को 4.23 एकड़ भूमि मिली। तख्त–E के तहत न्यायालय द्वारा शेख पचु, पिता–शेख जेरकु , प्रतिवादी सख्या–3 को मौजा–अगडु एवं एकागुडी स्थित कुल 4.97 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। पार्टीशन सुट के फैसले से स्पष्ट होता है कि शेख जेरकु के पुत्र शेख बीगन की दो पत्नियों में से सिर्फ हनीफन को ही तख्ता–D के तहत् हस्सा मिला जिसमें से बिक्री के पश्चात् हनीफन को मौजा–अगडू स्थित 0.74 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है तथा दूसरी पत्नी जीतन को कोई हिस्सा नहीं मिला है। कागजातो एवं जाँच में पाया गया है कि शेख बीगन की द्वितीय पत्नी जीतन के पुत्र अब्दुल अजीज के

पुत्रों, अलाऊद्दीन अंसारी, जलालुद्दीन अंसारी, जमालुद्दीन अंसारी, इसलाम अंसारी ने न्यायालय के उपर्युक्त Partition Suit No- 23/1966 के विरुद्ध फर्जी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज वाद संख्या–1328 27/2000–01 के तहत् मौजा–अगडू एवं मौजा–एकागुडी की कुल रकबा–7.51 ⅝ एकड़ भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लिया है। फर्जी सादा बटवारानामा की छायाप्रति एवं वार्ड सदस्य, उप मुखिया एव मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है। विपक्षी के नाम से वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी तत्कालीन अंचलाधिकारी रातु के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–132 R 27/2000–01 में पारित आदेश के आधार पर पंजी–II में कायम की गई है। इस प्रकार अंचलाधिकारी रातु ने प्रतिवेदित किया है कि दाखिल खारिज याद संख्या–132 R 27/2000–01 में पारित आदेश तथ्यविहीन था। अतः इस आदेश को अचलाधिकारी रातु ने विखण्डित करने की अनुशंसा की है।

अंचलाधिकारी, रातु ने बंटवारा वाद संख्या–22/1966 में Additional Sub Dudge, Ranchi द्वारा पारित आदेश एवं स्थानीय जाँच–पड़ताल कराके दाखिल खारिज बाद संख्या–132.8 22/ 2000–01 में तत्कालीन अंचलाधिकारी रातु द्वारा पारित आदेश को विखण्डित करने की अनुशंसा की गई है। अतः उपर्युक्त तथ्यों तथा अंचलाधिकारी रातु की अनुशंसा के आलोक में तत्कालीन अचलाधिकारी रातु द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–132 R 27/2000–01 में पारित आदेश को विखण्डित किया गया है तथा माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत भूमि की जमावन्दी कायम करने हेतु अलग से विधिवत्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जिसके लिये अंचलाधिकारी स्वयं सक्षम है।

अपीलकर्त्ता का पक्ष सुनने एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं:–

1. अंचलाधिकारी, रातु द्वारा विपक्षी सलीम अंसारी के आवेदन पत्र के संबंध में राजस्व कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक से विधिवत जाँच कराई गई है।

2. अंचलाधिकारी रातु ने प्रतिवेदित किया है कि दाखिल खारिज याद संख्या–132 R 27/2000–01 में पारित आदेश तथ्यविहीन था। अतः इस आदेश को अचलाधिकारी रातु द्वारा विखण्डित करने की अनुशंसा की गई है।

3. निम्न न्यायालय उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रांची द्वारा अंचलाधिकारी रातु के अनुशंसा के आलोक में दाखिल खारिज याद संख्या–132 R 27/2000–01 को विखण्डित करने एवं माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी कायम करने हेतु अलग से विधिवत्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जो उचित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रांची विविध वाद संख्या–6/2012–13/टी0आर0 संख्या–21/2014–15 में दिनांक–04.05.2016 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। अतः आवेदक का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

03/12/20
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

03/12/20
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2021.04.09 16:42:49 +05:30
Location: 192.168.0.8